विधान परिषद के तृतीय सत्र, 2024 के प्रथम सोमवार हेतु निर्धारित डॉ0 मान सिंह यादव, मा0 सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-36 का उत्तर।

प्रश्न	उत्तर
36 (क) क्या नगर विकास मंत्री बतायेंगे कि नगर निगम गाजियाबाद से 30 सितम्बर, 2023 को सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों की पेंशन एवं ग्रेच्युटी आदि के भुगतान के सम्बन्ध में नगर विकास अनुभाग-7 उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या-3117/नौ-7-2024 दिनांक 03 सितम्बर, 2024 के माध्यम से भुगतान कराये जाने हेतु नगर आयुक्त नगर निगम गाजियाबाद को पत्र प्रेषित किया गया है ?	जी हाँ।
(ख) यदि हाँ, तो एक वर्ष बीत जाने के बावजूद भी उक्त कार्मिकों के पेंशन आदि सभी देयकों के भुगतान में विलम्ब करने वाले संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए कब तक उक्त सभी देयकों व पेंशन आदि का भुगतान करा दिये जायेंगे ?	श्रीमती उरूसा नकवी, प्रथम श्रेणी लिपिक एवं श्री वेदप्रकाश गैंगमैन प्रकाश विभाग, गाजियाबाद नगर निगम से दिनांक 30.09.2023 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं। सेवानिवृत्ति के उपरान्त श्री वेदप्रकाश गैंगमैन प्रकाश विभाग के समस्त सेवानिवृत्तिक लाभों/देयकों का भुगतान किया जा चुका है। श्रीमती उरूसा नकवी द्वारा विभाग को अपूर्ण अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया गया। श्रीमती नकवी द्वारा अपनी सेवानिवृत्ति के उपरान्त भी प्रपत्र-2 की पुस्तक जोनल कार्यालय सिटी जोन में उपलब्ध न कराये जाने के कारण नजारत विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया गया था, जिस कारण श्रीमती उरूसा नकवी को दिये जाने वाले पेंशन की 25 प्रतिशत धनराशि एवं उपादान की बकाया धनराशि को रोकते हुए उनके सेवानिवृत्ति दिनांक 30.09.2023 के पश्चात अनुवर्ती दिनांक 01.10.2023 से 29.02.2024 तक रू0

Scanned with CamScanner

	1,30,305/- अनन्तिम पेंशन, सामान्य भविष्य निधि में जमा धनराशि तथा उपार्जित अवकाश रू0 6,94,960/- का भुगतान दिनांक 10.01.2024 को किया जा चुका है एवं दिनांक 01.03.2024 से अनन्तिम पेंशन का भुगतान प्रतिमाह किया जा रहा है। श्रीमती नकवी (सेवानिवृत्त) के वेतन एवं ग्रेच्युटी आदि के भुगतान संबंधी प्रकरण के निस्तारण हेतु जाँच समिति का गठन किया गया था। समिति की जॉच आख्या में प्रपत्र-2 MAC-2 बुक संख्या-25581, 25582 व 25585 संदिग्ध पाया गया। जॉच आख्या में इस तथ्य का उल्लेख है कि वित्तीय क्षति का आगणन करते हुए गुणदोष के आधार पर सम्बन्धित कार्मिकों के विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही जोनल प्रभारी/सिटी जोन से अपेक्षित है। अतएव प्रश्नगत प्रकरण का अन्तिम निस्तारण कराते हुए शासन को अवगत कराने के निर्देश नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद को शासन के पत्र दिनांक 26.11.2024 द्वारा दिये गये हैं।
(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?	उपरोक्तानुसार।

(ए.के. शर्मा)
मंत्री,
नगर विकास विभाग।

Scanned with CamScanner